

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

सरकार बनाम रामपुकारा वगै.

उभयपक्ष उप. | विद्वान वकील अपाधीगण
ने लिखित क्लर प्रस्तुत की जिसे शामिल
मिसल किया गया | विद्वान वकील अपाधीगण ने
अपनी क्लर में विवादित भूमि पर 50 वर्षों से भी
अधिक समय से कब्जा करना बतते हुये अत्यधिक
विलम्ब, को भी बिना किसी तर्कसंगत कारण
के पेश करने के संबंधित न्यायिक नजारे पेश
करते हुये रीफरेंस प्रार्थना पत्र स्वारिज किमे
जाने का निवेदन किया |

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त
दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक
अवलोकन किया | मुताबिक जमाबन्दी सं 2012-
2015 आ.ख. न. 1173 रुबा 9 बीघा 19 बिस्वा
मकबूजा मजबूर दर्ज है. एवं भूमि का प्रकार
वाले कॉलम में 'परत' का उंकन है | संवत् 2020
में 1173 रुबा 5 बीघा 19 बिस्वा भोलाराम
वलद गेताराम व गिरधारीलाल वगै.
गैर रवातेदार के रूप में दर्ज हैं. एवं भूमि का प्रकार
जै.मु. गदी दर्ज है | जमाबन्दी सेवक 2025-20 में
आ.ख. न. 1173 रुबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर ओम-
प्रकाश वलद भोलाराम कौम ब्राह्मण स्वा-देह रवातेदार
दर्ज है एवं भूमि की किस्म जै.मु. गदी दर्ज है |
जमाबन्दी सेवक 2053-56 में आ.ख. न. 1173
रुबा 1 बीघा 10 बिस्वा रामप्रकाश, सत्यपाल
बच्चूसिंह. पि. चरनसिंह कौम ठाकुर स्वा-देह
रवातेदार दर्ज है. एवं भूमि की किस्म जै. म. दर्ज

आ
रिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सं 2012-2015 आ.ख. नं. 1173 रुबा 9 बीघा 19 बिस्वा मरुबूजा मजबूर दर्ज है। एवं भूमि का प्रकार वाले कॉलम में 'परत' का उंकन है। संवत् 2020 में 1173 रुबा 5 बीघा 19 बिस्वा भौलाराम वल्द गीताराम व गिरधारीलाल वगैः

गैरस्वातेदार के रूप में दर्ज है। एवं भूमि का प्रकार जै. मु. गदी दर्ज है। जमाबन्दी सेवक 2025-20 में आ. ख. नं. 1173 रुबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर औम-प्रकाश वल्द भौलाराम भौम ब्राह्मण स्वा-देह स्वातेदार दर्ज है एवं भूमि की किस्म जै. मु. गदी दर्ज है।

जमाबन्दी सेवक 2053-56 में आ. ख. नं. 1173 रुबा 1 बीघा 10 बिस्वा रामप्रकाश, सत्यपाल बच्चूसिंह, पि. चरनसिंह कौम ठाकुर सा-देह स्वातेदार दर्ज है। एवं भूमि की किस्म जै. मु. दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2069-72 में भी इसी प्रकार के इन्ड्रज दर्ज रिकार्ड है।

इस प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड

Am

अ. रिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सरकार बनाम रामप्रकाश वर्मा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

जै हुक्म की किस्म कृमशः पड़त, जै. मुमकिनगढी
जै जै. मु. के रूप में दर्ज-चली आ रही है।
जाची तहसीलवाट रूपवास द्वारा भूमि की किस्म
द्वारा-16 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के
तहत प्रतिबंधित एवं अब्दुल रहमान प्रकरण में
माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में
प्रतिबंधित भूमि वर्तते हुये रेफरेन्स प्रा.पत्र पेश
किया है। समस्त राजस्व रिफार्ड के अवलोकन
से यह स्पष्ट है कि भूमि प्रारंभ से जै. मु.
मानि नाकाबिल काश्त के रूप में दर्ज रही है।
परन्तु उक्त जैणी द्वारा-16 RTact. की 1 से 14
किसी भी जैणी में कवर नहीं होती ना ही
विनाशित भूमि का नदी। नाले के बहाव क्षेत्र
की भूमि होना स्पष्ट होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार
पर तहसीलवाट रूपवास द्वारा आ. व. न. 2011/
1173 रुकबा 1-10 बीघा बाबत प्रस्तुत रेफरेन्स
प्रार्थना पत्र पौषणीय नहीं होने के कारण काबिल
स्वारिज पाया जाता है। अतः

औडिश है कि रेफरेन्स प्रा.पत्र बाबत व. न.
2011/1173 रुकबा 1-10 बीघा जै. मु. गणम रूपवास
स्वारिज किया जाता है। पत्रा फैसल शुमार होकर
दिनांक 11/11/2011 है।

धारा-16 राज. कानून अधिनियम 1955 के
तहत प्रतिबंधित एवं अष्टुल रहमान प्रख्यामे
माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में
प्रतिबंधित भूमि बताने हुये रेफरेन्स प्रा.पत्र पेश
किया है। समस्त राजस्व रिफार्ड के अवलोकन
से यह स्पष्ट है कि भूमि प्रारंभ से जे.मु.
ग्रामि नानाबिल कारत के रूप में दर्ज रही है।
परन्तु उक्त ग्रामी धारा-16 RT Act. की 1 से 14
किसी भी ग्रामी में कवर नहीं होती ना ही
विनाशित भूमि का नदी / नाले के बहाव क्षेत्र
की भूमि होना स्पष्ट होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार
पर तहसीलदार रूपवास द्वारा आ. व. न. 2011/
1178 रकबा 1-10 बीघा बाबत प्रस्तुत रेफरेन्स
प्रार्थना पत्र पौखरीय नहीं होने के कारण नानाबिल
स्विकारिज पाया जाता है। अतः

औडिश है कि रेफरेन्स प्रा.पत्र बाबत व. न.
2011/1178 रकबा 1-10 बीघा जे.मु. ग्राम रूपवास
स्विकारिज किया जाता है। पत्रा फैसला शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

विना महावर

विना महावर
अति-जिला कलक्टर
(भरतपुर)